

प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days “Refresher Course for Police Inspectors”

दिनांक 07-02-2022 से 11-02-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 07-02-2022 से 11-02-2022 तक “Refresher Course for Police Inspectors” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक (इंडोर) श्री रेवन्त दान, के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 22 पुलिस निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा आरएस (सेवानिवृत्त) ने भूमि और राजस्व विवादों से संबंधित अपराधों की जांच पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री अमरजीत मस्ताना, एडवोकेट, जयपुर ने न्यायालय में सबूत देने पर विस्तार से बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में राहुल प्रकाश आईपीएस, उप महानिरीक्षक पुलिस, (CID CB) PHQ जयपुर ने हिरासत में हिंसा, क्या करें और क्या न करें, NHRC के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया। द्वितीय सत्र में श्री हरिप्रसाद शर्मा, IGP (Retd) Chairman RSSB, Jaipur ने संचार कौशल, सकारात्मक, दृष्टिकोण और टीम बिल्डिंग पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री सांगा राम जांगिड, आईपीएस, महानिदेशक पुलिस, सेवानिवृत्त तमिलनाडु ने कानून और व्यवस्था की समस्याओं में पुलिस का व्यवहार पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धन्ना राम, एडीजे (सेवानिवृत्त) ने पोक्सो अधिनियम और जांच पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्रीमती सीमा हिंगोनिया, सहायक निदेशक, (SIC) आरपीए जयपुर ने पुलिस व्यवहार - "अपेक्षाएं और वास्तविकता" पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में डॉ राजेश कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर डीएनए (डिविजन) एफएसएल राजस्थान जयपुर ने डीएनए की जांच, केस स्टडीज, फिंगर प्रिंट, निदोष व्यक्तियों को डीएनए आदि में दोषी ठहराने से बचाव पर अपना व्याख्यान दिया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री रमेश कुमार, पीओ, आरपीए जयपुर ने साक्ष्य संग्रह और कानून में नये संशोधनों से सम्बंधित महत्वपूर्ण केसेस के बारे में बताया। द्वितीय सत्र में श्री नंद कुमार कटेवा, प्रोग्रामर, आरपीए ने सीसीटीएनएस और आईसीजेएस पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री मंशाराम, प्लाटूनकमांडर व श्री गोविंद नारायण हेड कांस्टेबल ने पम्प एक्शन गन, चिली पाउडर का उपयोग, कानून व्यवस्था की स्थितियों में हेलमेट का उपयोग, हेलमेट कैमरे का डेमो आदि पर अपना व्याख्यान दिया।

पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री निशीत दीक्षित, अधिवक्ता, ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 और केस कानूनों सहित साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। तृतीय सत्र में श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेंसिक सलाहकार, सीसीपीडब्ल्यूसी, आरपीए ने डिजिटल साक्ष्य, फाइलें, हैश वैल्यू, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, आईपी एड्रेस, ईमेल एनालिसिस, एफबी पर ब्लॉकिंग, सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट ब्लॉकर्स पर विस्तार से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री अनिल परिस देशमुख, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जयपुर द्वारा कोर्स पर संवाद के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

नवाचार :- पांचवे दिवस पर अंतिम सत्र में प्रतिभागियों का प्रश्न पत्र के माध्यम से उनकी पांच दिवसीय प्रशिक्षण की परीक्षा ली गई एवं जानकारी प्राप्त की गई पांच दिवस में प्रतिभागियों द्वारा कोर्स के माध्यम से कितना सीखा था नहीं सीखा, साथ ही प्रत्येक कांलाश में प्रतिभागीयों की उपस्थिति, अनुशासन, परस्पर क्रिया एवं सक्रियता की जांच हेतु प्रत्येक अतिथि वक्ता के माध्यम से फीडबैक भी प्राप्त किया गया। दोनो ही कार्यों से प्रतिभागीयों की उपस्थिति, अनुशासन के साथ ही सीखने की प्रवृत्ति में सुधार दृष्टिगत हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक